लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2319
21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

बुनकर मुद्रा योजना

2319 . श्री विजय बघेल:
श्री देवजी पटेलः
श्री अरुण साव:
श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः
श्री सुनील कुमार सोनी:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री मोहन मंडावी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बुनकर मुद्रा योजना (डब्ल्यूएमएस) कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो डब्ल्यूएमएस के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान डब्ल्यूएमएस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित देश में कुल कितने बुनकरों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम राज्यों में रेशम और सूत सहित सभी उत्पादों की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में हथकरघा और मशीनकरघा पर बने परिधानों के लिए उच्च और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के कल्याण और विकास के लिए रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना कार्यान्वित कर रहा है। योजना के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) भारत सरकार द्वारा 7% तक ब्याज अनुदान की शर्त के अध्यधीन 3 साल की अवधि के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर सब्सिडी वाला ऋण।

(ii) व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी को ऋण राशि के 20% की दर से अधिकतम 25,000/- रुपये; और हथकरघा संगठन को ऋण राशि के 20% की दर से अधिकतम 20.00 लाख रुपये (प्रति 100 बुनकरों/कामगारों के लिए 2.00 लाख रुपये की दर से मार्जिन राशि) तक मार्जिन राशि सहायता।

(iii) 3 वर्ष की अवधि के लिए क्रेडिट गारंटी शुल्क।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के लिए 1,17,678 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) और (ङ): वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम राज्यों सहित पूरे देश में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को यार्न उपलब्ध कराने के लिए कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत, सभी प्रकार के यार्न हेतु मालभाड़ा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है; और कपास हैंक यार्न, घरेलू सिल्क, ऊन और लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न के लिए मात्रात्मक सीमा के साथ 15% मूल्य सब्सिडी भी उपलब्ध है।

वर्तमान में, पावरलूम उद्योग के लिए कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। हालांकि, पूरे देश में पावरलूम क्षेत्र के सतत विकास के लिए आधारभूत सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है।

*****